

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य-प्रदेश

प्रकरण क्र /12 निगरानी - 2452-5/12

श्री राजशेखर क. शर्मा, शायी
द्वारा आज दि 3-8-12 को
प्रस्तुत
कल
3-8-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. अंग्रेजसिंह पुत्र श्री भजनसिंह जाति जाटसिक्ख निवासी श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र.
2. जगपालसिंह पुत्र श्री फतेहसिंह जाति जाटसिक्ख निवासी श्योपुर जिला श्योपुर म.प्र.

—आवेदकगण/रेस्पोंडेन्स
बनाम


महिला गुरुशरण कौर पुत्री प्रतापसिंह पत्नी
शादीराम धवन जाति जाटसिक्ख निवासी 9321
वर्न्स ड्राइव डेल्टा, ब्रिटिश कोलम्बिया, कनाडा द्वारा
कथित मुख्याराम वासुदेव शर्मा पुत्र रतनचन्द
शर्मा निवासी गणेश कॉलोनी नयाबाजार ग्वालियर
म.प्र.

—अनावेदक/अपीलार्थी

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य-प्रदेश भू-राजस्व संहिता ।

विरुद्ध न्यायालय एस.डी.ओ. श्योपुर के प्र.क्र.126/09-10 अ.मा.

में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26.07.2012 ।



Attested
सी. बी. दर्पे 02/8/12
शपथ आयुक्त
श्योपुर कलां (म.प्र.)

शपथ आयुक्त

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2452-एक/2014

जिला श्योपुर


स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

09-09-2014

आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री एस0के0 अवस्थी
उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री पी0के0तिवारी
उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर बताया
कि अनावेदिका गुरुशरण की मृत्यु हो चुकी है अतः अब वे
प्रकरण आगे चलाना नहीं चाहते हैं । अनावेदक की मृत्यु
के संबंध में न्यायालय तहसीलदार वृत्त 2 श्योपुर के प्रकरण
क्रमांक 200/12-13/अ-6 में पारित आदेश दिनांक
22-10-2013 की प्रमाणित प्रति पेश की । प्रकरण आवेदक
के निवेदन पर आगे नहीं चलाये जाने के कारण समाप्त
किया जाता है ।


प्रशासकीय सदस्य